


कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार,
राजस्थान परिमण्डल, सरदार पटेल
मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर—302008



भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

ठग्हात छाँत छाल छ स्फज्जन

; | छवअजण विष्टकपं म्दजमतचतपेमद्व

ज्ञापन संख्या : कल्याण / 3—92 / छात्रवृति / 2016—17 / 07
जयपुर, दिनांक: 18 —10—2016

विषय : भारत संचार निगम लिमिटेड राजस्थान परिमण्डल कार्यालय के कर्मचारियों के बच्चों के लिए वर्ष 2016—17 की विभागीय तकनीकी / गैर तकनीकी अध्ययन के लिये छात्रवृति प्रदान करने हेतु।

मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार एवं अध्यक्ष भारत संचार निगम लिमिटेड राजस्थान परिमण्डल कर्मचारी कल्याण बोर्ड, जयपुर द्वारा संलग्न प्रपत्र में तकनीकी एवं गैर तकनीकी विष्टक छात्रवृति वर्ष 2016—17 के लिए परिमण्डल कार्यालय स्टाफ (सी.एम.टी.एस. विंग, सतर्कता, कोरपोरेट लेखा, योजना, आर.टी.टी.सी, सी.टी.एस.डी, स्टाफ सहित) मुख्य अभियंता सिविल, मुख्य अभियन्ता विधुत, एवं वास्तुकार, जयपुर स्टाफ / कर्मचारियों से आवदेन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. छात्रवृति (नये मामले) के लिए पात्रता एवं शर्तें :-

(पद्ध सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों / संस्थानों से इंजीनियरिंग / मेडिकल / व्यावसायिक पाठ्यक्रम में डिग्री प्राप्त करने के लिए तकनीकी छात्रवृति हेतु आवेदक कर्मचारी / अधिकारी का मूल वेतन की कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन अन्य कोर्स तकनीकी डिप्लोमा सहित, गैर तकनीकी, आई.टी.आई, विकलांग छात्रवृति हेतु दिनांक 01.07.16 को कर्मचारी / अधिकारी का मूल वेतन 38,630/- रु. , प्क। त्वामेपकद्व प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए।

(पपद्ध यदि पति, पत्नी दोनों बी.एस.एन.एल के कर्मचारी हो तो उन दोनों में से जिसका वेतन अधिक होगा उसके लिए विचार हेतु लिया जाएगा।

(पपपद्ध एक समय में दो बच्चे छात्रवृति प्राप्त करने के पात्र होंगे। यदि दो से अधिक बच्चे पढ़ रहे हों तो कर्मचारी को यह छूट है कि वह यह बता सके कि किन दो बच्चों के लिए छात्रवृति स्वीकृत की जाए। आश्रित भाई—बहन छात्रवृति प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। फिर भी बी.एस.एन.एल के कर्मचारी पति / पत्नी यदि तकनीकी, गैर तकनीकी विष्टक प्राप्त कर रहा / रही है, तो वह छात्रवृति प्राप्त करने का हकदार होगा। बष्टे कि वह पूर्ण रूप से बी.एस.एन.एल कर्मचारी पर आश्रित हो और उसकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं हो।

(पद्ध तकनीकी छात्रवृति, इंजीनियरिंग / मेडिकल व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम में डिग्री जिनमें प्रवेष त्वच्छ्वच्छ आदि प्रतियोगी परीक्षा में श्रेष्ठता के आधार पर किया जाता है प्रथम वर्ष कोर्स के लिए छात्रवृति हेतु अंको के प्रतिष्ठत की सीमा नहीं है। लेकिन सभी प्रकार के अन्य तकनीकी / व्यावसायिक / गैर तकनीकी पाठ्यक्रम जहां छात्रवृति देने का मापदण्ड 10+2 में प्राप्त अंक प्रतिष्ठत है, छात्रवृति की पात्रता के लिए आवश्यक पूर्व परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिष्ठत प्राप्तांक होने चाहिए। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सभी तकनीकी / गैर तकनीकी छात्रवृति प्रदान करने के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में 10 प्रतिष्ठत की छूट दी जायेगी। विकलांग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को छात्रवृति स्वीकृत करते समय प्राप्तांकों में 15 प्रतिष्ठत की छूट प्रदान की जाए।"

(अद्व उन विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रदान नहीं की जावेगी, जिन्होने एन.आर.आई. कोटा के माध्यम से प्रवेष प्राप्त किया है।

(अपद्ध नवीनीकरणः— (त्सदमूसद्धः—1.तकनीकी कोर्स छात्रवृति डरैंड रकै रटैंड ठ इंड ठस्डैंड आदि मामलों में छात्रवृति का नवीनीकरण तभी किया जायेगा जबकि उम्मीदवारों द्वारा तकनीकी कोर्स परीक्षा में 55 प्रतिष्ठत अंक प्राप्त किये गये हों।

इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के तकनीकी/गैर तकनीकी कोर्स (द्वितीय वर्ष एवं इसके बाद) के लिए छात्रवृत्ति का नवीनीकरण तभी किया जायेगा जबकि उम्मीदवार द्वारा कोर्स के प्रथम वर्ष/पूर्व वर्ष की परीक्षा में 65 प्रतिष्ठत अंक प्राप्त किये हों।

;अपपद्ध अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सभी तकनीकी / गैर तकनीकी छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में 10 प्रतिष्ठत की छूट दी जायेगी। छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय प्राप्तांकों में 10 प्रतिष्ठत की छूट प्रदान की जाए। विकलांग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय प्राप्तांकों में 15 प्रतिष्ठत की छूट प्रदान की जाए।”

<p>(अपपद्ध</p> <p>छात्रवृति प्राप्त करता है तो आवेदन कर सकेगा। लेकिन विद्यार्थी द्वारा प्रथम पाठ्यक्रम पूरा किये बिना स्वीकृत राष्ट्रीय तरन्त वापस</p>	<p>यदि किसी छात्र का पूर्व परीक्षाओं में अपेक्षित प्रतिष्ठित प्राप्तांक नहीं है, तो वह प्रथम वर्ष के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन यदि वह प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम के दौरान अपेक्षित अंक नये सिरे से नये मामले के रूप में द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की छात्रवृति के लिए छात्रवृति किसी भी तकनीकी/गैर तकनीकी विद्या के लिए स्वीकार्य की जायेगी, डिग्री प्राप्त करने के बाद नहीं। यदि कोई विद्यार्थी गैर तकनीकी छात्रवृति को तकनीकी छात्रवृति में परिवर्तित कर लेता है तो गैर तकनीकी छात्रवृति के लिए करनी होगी।</p>
---	--

(पग) सभी तकनीकी स्नातकोत्तर समेतिक डिग्री कोर्स (द्वजमतहतंजमक च्वेजहतंकनंजपवद्द्व के लिए 600रु. प्रतिमाह या 360रु. प्रतिमाह (जैसा मामला हो) की दर से छात्रवृति का प्रावधान हैं। विस्तृत विवरण / षर्ते पैरा ; गद्द
 (3) (अ) एवं (ब) के अनुसार हैं।

(गद्ध) छात्रवृति की रकम :-

- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों/संस्थाओं से इंजीनियरिंग/मेडिकल व्यवसायिक, बी.पी.टी./बी.फार्मा पाठ्यक्रम (चार वर्षीय) में डिग्री प्राप्त करने के लिए तकनीकी छात्रवृत्ति 600 रुपये प्रतिमाह ।
 - ईंजीनियरिंग/मेडिकल पाठ्यक्रम में डिप्लोमा (तीन वर्षीय) बी.एस.सी.(छन्तेपदहृद्ध/बी.आई.टी./बी.बी.ए/बी.सी.ए/बी.आई.एस/बी.एस.सी.,थ्यवक.ज्मबीद्ध/बी.एस.सी.(बायोटेक) के लिए तकनीकी छात्रवृत्ति 360/-रु प्रतिमाह । नए समेकित पाठ्यक्रम, 12वीं (10+2) के बाद 5वर्षीय बी.ए. एल.एल.बी. (विषेष) एवं चार वर्षीय बी.एस.सी. बी.एड. पाठ्यक्रमों के लिए 360/-रु प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए ।
 - (अ) यदि एम.टेक (बायोटेक) /बी.टेक (आनर्स) /एम.बी.ए पांच वर्ष से अधिक अवधि का कोर्स है तो इस प्रकार के मामलों में सिर्फ चार वर्ष तक छात्रवृत्ति 600रु.प्रतिमाह की दर से स्वीकृत की जावेगी ।
(ब) यदि एम.एस.सी आनर्स/बॉयो चार वर्ष से अधिक अवधि का कोर्स है तो इस प्रकार के मामलों में सिर्फ तीन वर्ष तक छात्रवृत्ति 360 रु. प्रतिमाह की दर से स्वीकृत की जावेगी । (बी.एस.एन.एल मुख्यालय पत्र क्रमांक 12-1/2009 /बी.एस.एन.एल(डब्ल्यू एल) दिनांक 01-6-2009)
 - आई.टी.आई. पाठ्यक्रम के लिए तकनीकी छात्रवृत्ति 180 रुपये प्रतिमाह ।
 - विज्ञान, कला एवं वाणिज्य की डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए गैर तकनीकी छात्रवृत्ति 180 रुपये प्रतिमाह । ऐसे विकलांग एवं मंदबुद्धि बच्चों के लिए छात्रवृत्ति—किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान के छात्र/छात्राओं को रु 240/- प्रतिमाह देय होगी ।

2. आवेदन पत्र :-

आवेदन पत्र :-

आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित यूनिट/कार्यालय प्रधानों के माध्यम से सहायक निदेशक (कल्याण) कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार, राजस्थान परिमण्डल जयपुर के पास दिनांक 30.11.2016 तक पहुँच जाने चाहिए। आवेदन पत्र को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जावेगा। यदि :-

- (क) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि 30-11-2016 तक प्रस्तुत नहीं किये हों ।
- (ख) आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए न हों (जैसा कि प्रत्येक कॉलम का उत्तर दिया जाना आवश्यक है ।
- (ग) आवेदन पत्र सीनियर सेकेण्डरी या आवश्यक अन्य किसी उत्तीर्ण परीक्षा की अनुप्राणित अंकतालिका सहित न हो ।
- (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों के मामले में जाति प्रमाण-पत्र की अनुप्राणित प्रतियों सहित आवेदन न हों ।
- (ङ.) कॉलम "क" और "ख" में दी गई प्रविष्टियों कार्यालय/यूनिट प्रधान द्वारा प्रमाणित न हो ।
- (च) आवेदन पत्र के अंतर्गत कालम ग, घ, और ङ में दी गई प्रविष्टियां उस संस्था के प्रधान द्वारा प्रमाणित न हो जिसमें छात्र अध्ययन कर रहा है ।
1. तकनीकी कोर्स में आवेदन पत्र के साथ त्वच्छब्दज द्वारा जारी योग्यता सूची की एक प्रति लगाना अतिआवश्यक है ।
 2. अध्ययनरत संस्था से प्राप्त प्रवेष शुल्क रसीद लगाना आवश्यक है ।
 3. जिला/कार्यालय प्रधान कर्मचारियों की मॉग/आवश्यकतानुसार साइक्लोस्टाइल फार्म की आपूर्ति करने की व्यवस्था करेंगे । वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है । छात्रवृत्ति योजना और इस पत्र की विषय वस्तु आपके द्वारा नियंत्रित /अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी में लावें ।

कृपया इसकी पावती भेजें ।

टिप्पणी :— उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है जो पहले से ही छात्रवृत्ति ले रहे हैं या स्वीकृत की जा चुकी है ।

संलग्न — आवेदन पत्र प्रोफार्मा

(एम. एस. तोमर)

सहायक निदेशक (कल्याण) एवं सचिव बी.एस.एन.एल
राजस्थान परिमण्डल कर्मचारी कल्याण बोर्ड

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार राजस्थान परिमण्डल जयपुर-08

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य महाप्रबन्धक, दूरसंचार राजस्थान परिमण्डल, जयपुर
2. सभी प्रधान महाप्रबन्धक/वरिष्ठ महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक परिमण्डल कार्या. जयपुर/नियन्त्रक संचार लेखा झालाना डूंगरी, जयपुर
3. वरिष्ठ मुख्य अभियंता (विधुत)/मुख्य अभियंता (सिविल)/वरिष्ठ वास्तुकार बी.एस.एन.एल राजस्थान परिमण्डल, जयपुर
4. सभी अतिरिक्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक परिमण्डल कार्यालय/संयुक्त सी.सी.ए. झालाना डूंगरी, जयपुर
5. अधीक्षण अभियंता (सिविल) जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
6. अधीक्षण अभियंता (विधुत) जयपुर/जोधपुर
7. उप महाप्रबन्धक (सर्तकता)/मुख्य लेखाधिकारी (कारपोरेट लेखा) झालाना डूंगरी, जयपुर
8. उप महाप्रबन्धक आर.टी.टी.सी/मण्डल अभियंता आर.टी.टी.सी/सी.टी.एस.डी जयपुर
9. सभी सहायक महाप्रबन्धक/मुख्य लेखाधिकारी परिमण्डल कार्यालय जयपुर
10. सभी ग्रुप अधिकारी/अनुभाग पर्यवेक्षक परिमण्डल कार्यालय/सी.एम.टी.एस. विंग, जयपुर सहित ।
11. परिमण्डल सचिव, बी.एस.एन.एल.ई.यू./एन.एफ.टी.ई./एस.सी./एस.टी.एम्प्लाईज वेलफेयर एसोसियसन राजस्थान परिमण्डल
12. सम्पादक "चेतक" पत्रिका परिमण्डल कार्यालय, जयपुर ।
13. सभी सदस्य बी.एस.एन.एल राजस्थान परिमण्डल कर्मचारी कल्याण बोर्ड
14. सभी एस.एस.ए प्रमुखों को प्रतिलिपि सूचनार्थ और अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ कर्मचारियों से इस संबंधित आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए कार्यवाही करें ।

अंतिम तिथि 30-11-2016

वर्ष 2016–17 के लिए छात्रवृति आवेदन—पत्र

(क)

1. कर्मचारी का नाम _____
2. पदनाम _____
3. एच. आर. नम्बर _____
4. कार्यालय का पता _____
5. दूरभाष/मोबाईल नम्बर _____
6. जन्म तिथि _____
7. दिनांक 01–07–2016 को कर्मचारी का _____
मूल वेतन (78.2 के अनुसार आई.डी.ए)
8. यदि पति/पत्नी सेवारत हों तो उसका मूल वेतन
दोनों का कुल मूल वेतन ($7 + 8$) _____
9. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है :— हॉ/नहीं। यदि हॉ तो जाति
प्रमाण—पत्र की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें

(ख)

1. विद्यार्थी का नाम _____
2. आवेदक से संबंध _____
3. जन्म तिथि _____
4. यदि वह मन्दबुद्धि/विकलांग है तो चिकित्सा प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाए।
5. विद्यार्थी के हस्ताक्षर _____

(ग) जिस विद्या के लिए छात्रवृति हेतु आवेदन किया है, उसका विस्तृत विवरण :—

1. पाठ्यक्रम का नाम डिप्लोमा/डिग्री _____
2. वर्ष 2016–17 में किस स्तर पर पढ़ाई की जा _____
जा रही है। परीक्षा वर्ष का उल्लेख करें।
3. विद्यालय संस्थान का नाम _____
4. राज्य/विश्वविद्यालय जिससे वह संबद्ध है/ मान्यता प्राप्त है _____

(घ) विद्यार्थी द्वारा अपनाए गए अध्ययन के पाठ्यक्रम को आरम्भ करने से पूर्व कक्षा सीनियर सैकेण्डरी से शैक्षिक विवरण इनके समर्थन में अंकतालिका की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करें, छात्रवृति के मामले में :—

परीक्षा का नाम उत्तीर्ण करने का वर्ष पूर्णांक प्राप्तांक अंको का प्रतिष्ठत

1. कक्षा सीनियर सैकेण्डरी पास

2.

नोट:- यदि न्यूनतम अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने में एवं अध्ययनरत पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने में अंतराल रहा हो एवं शैक्षिक अभिलेख द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की गई हो तो उस अवधि का विस्तृत व्यौरा दस्तावेजों—प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ङ) यदि कोई वित्तीय सहायता प्राप्त की गई हो तो उसका विवरण:—

1. क्या विद्यार्थी को अध्ययन शुल्क से छूट दी गई है।
2. यदि छूट दी गई है तो दी गई छूट की रकम का उल्लेख करें।
3. क्या इस पढाई के लिए उसने अन्य स्त्रोत से किसी प्रकार का वृतिका/सहायता प्राप्त की है। यदि हाँ तो रकम एवं स्त्रोत का विवरण दें।

रकम

संस्थान का नाम

(च) बच्चों की शिक्षा हेतु विभाग से प्राप्त सहायता का विवरण (रूपये अंको में) -----

1. मैं यह घोषणा करता हूँ कि :—
2. मेरा बच्चा/आश्रित अन्य किसी स्त्रोत से तकनीक/गैर तकनीकी शिक्षा के लिए पहले से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है।
3. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री का उक्त कोर्स में एन.आर.आई. कोटा के माध्यम से प्रवेष नहीं हुआ है।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

खाता संख्या बैंक का नाम

आई.एफ.सी. कोड

नोट: प्रपत्र के सभी कॉलमों का उत्तर देना आवश्यक है।

संस्था प्रधान का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. कॉलम ख, ग में वर्णित प्रविष्टियां सत्य हैं।
2. श्री/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री श्री _____
कक्षा/कोर्स _____ वर्ष 2016–2017 में अध्ययन कर
रही/रहा है।
3. यह स्कूल/संस्थान सरकार द्वारा पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त है। जिसका पंजीकरण
क्रमांक _____ दिनांक _____ है।

स्थान :

दिनांक :

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर एवं मोहर

यूनिट प्रधान का प्रमाण-पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय अभिलेख के अनुसार कॉलम 'क' एवं 'ख' की प्रविष्टियां सही हैं।

अग्रेषित :

सहायक निदेशक (कल्याण) एवं सचिव भारत संचार निगम लिमिटेड राजस्थान परिमण्डल कर्मचारी कल्याण बोर्ड को इस टिप्पणी के साथ अग्रेषित कि कॉलम "क" एवं "ख" में दी गई प्रविष्टियाँ सही हैं।

स्थान :

दिनांक :

यूनिट प्रधान के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोट :-

1. तकनीकी कोर्स में आवेदन पत्र के साथ तम्भड्डु द्वारा जारी योग्यता सूची की एक प्रति लगाना अति आवश्यक है।
2. अध्ययनरत संस्था से प्राप्त प्रवेष षुल्क रसीद लगाना आवश्यक है।